बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–343 दिनांक–18.07.2026 द्वारा सूचित किया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक–372/2024), आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया को लखीसराय थाना काण्ड संख्या–379/2026 दिनांक–17.07.2026 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा–30(ए)/37 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। उक्त के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–346 दिनांक–22.07.2026 के साथ संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–320 दिनांक–21.07.2026 में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक काण्ड के अभियुक्त श्री दीपक कुमार भारद्वाज, आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, पे0–अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, कार्यानन्द नगर, वार्ड नं0–08, लखीसराय को दिनांक–17.07.2026 को शराब के नशे में होने तथा अवैध शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तारी के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त उक्त सूचना तथा श्री भारद्वाज के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी के उपरान्त कारा–निरोध की तिथि–17.07.2026 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर निर्धारित किया जाता है, जहाँ कारागार से रिहा होने के पश्चात् अपना योगदान समर्पित करेंगे।

3. निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(खगड़िया)–18/2026 4409 /खाद्य, पटना/दिनांक 29/07/2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, खगड़िया से अनुरोध है कि श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक–372/2024), आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परिचारित विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर (साक्ष्य एवं साक्षियों की सूची सहित) विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर से अनुरोध है कि श्री भारद्वाज के कारागार से रिहा होने के उपरान्त निर्धारित मुख्यालय में उनके द्वारा योगदान किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक–372/2024), आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया सम्प्रति निलंबित, मोबाईल संख्या–9891665115, E-mail : deepakdhamma@gmail.com (निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Deepak Kr. Bhardwaj.doc